भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 736

उत्तर देने की तारीख: 07.02.2022

शिक्षा क्षेत्र में एड - टेक कंपनियां

†736. **श्री अधीर रंजन चौधरी:**

श्री एम.के. राघवनः श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

श्री के. सुधाकरन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 2019 से लेकर अब तक भारत में पंजीकृत एड टेक कंपनियों से कितना राजस्व सृजित हुआ है;

(ख) क्या सरकार की भारत में एड-टेक क्षेत्र के विनियमन के लिए एक विशेष नीतिगत ढांचा शुरू करने की मंशा है

(ग) यदि हां, तो उक्त नीति को कार्यान्वित करने के लिए अनुमानित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रेडेटरी मार्केटिंग, डेटा सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण आदि चिंताओं का समाधान करने के लिए एक व्यापक नीति सुनिश्चित करने हेतु अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उन मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा क्या है, जिनसे परामर्श किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क**)** से (ड.) एड-टेक कंपनियों की शोषणकारी प्रथाओं से बचाव के लिए**,** सरकार ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें हितधारकों के लिए क्या करें और क्या न करें शामिल हैं। इसने उन नागरिकों को सूचना देने के लिए ई-कॉमर्स फर्मों के लिए कानूनी प्रावधानों को भी दोहराया है जो एड-टेक सेवाओं के उपभोक्ता हैं। इसका विवरण https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1784582 पर देखा जा सकता है।

यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) द्वारा पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम की पेशकश के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पात्रता शर्तें, ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए मान्यता प्रक्रिया, अवसंरचना, शैक्षणिक और अन्य गुणवत्ता मानकों का रखरखाव शामिल है। यह निजी क्षेत्र के साथ फेंचाइजी व्यवस्था को प्रतिबंधित करता है और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश का स्वामित्व केवल उच्च शिक्षा संस्थानों का होगा।

यूजीसी और एआईसीटीई ने भी सार्वजनिक नोटिस जारी कर छात्रों को किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर कार्यक्रम की मान्यता / पात्रता की स्थिति की जांच करने की सलाह दी है।

*****